

प्रेषक,

जिला युवा कल्याण एवं,
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

सेवा में,

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त
मुनिकीरेती नरेन्द्रनगर, टि0ग0।

पत्रांक-731 / यु0क0-म0मु0मं0घो0 / 2020-21 /

दिनांक-10 नवम्बर,2020

विषय- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 76 / 2017 विकासखण्ड हिण्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबन्दनी मेला मैदान) के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0-1244 / 12-1 दिनांक 26 / 10 / 2020 के क्रम में विन्दु सं0-03 में प्रस्तावक विभाग द्वारा Para 1.15 में Non-site specific activity के प्राविधानों के अनुपालन में परियोजना निर्माण हेतु अन्य वैकल्पिक स्थलों का परीक्षण किया गया, किन्तु हिण्डोलाखाल के इस क्षेत्र में अन्य भूमि जैसे सिविल सोयम एवं नाप/काश्तकारों की निजी भूमि स्टेडियम हेतु उपलब्ध न होने के फलस्वरूप ही आरक्षित वन भूमि त्यूणा कक्ष संख्या-01 का चयन मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु किया गया है, जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र सं0-720-A / यु0क0-मा0मु0मं0घो0 / 2020-21 / दिनांक 06,नवम्बर,2020 के द्वारा आरक्षित वन भूमि त्यूणा प्रस्तावित वन भूमि के आस-पास राजस्व भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन भूमि का चयन किया गया है, जो कि वृक्ष विहीन है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया, टि0ग0 का उपरोक्त पत्र इस आशय के साथ संलग्न किया जा रहा है, कि उक्त भूमि को अधोहस्ताक्षरी विभाग के नाम नामान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्न -यथोपरि।

भवदीय

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

- प्रतिलिपि- 1. निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदया, टिहरी गढ़वाल की सेवा में सादर सूचनार्थ।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या ^{720-A} / यु0क0-मा0मु0मं0घो0 / 2020-21 / दिनांक 06, नवम्बर, 2020

प्रेषित

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त
मुनिकीरेती नरेन्द्रनगर, टि0ग0।

विषय- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 76 / 2017 विकासखण्ड हिण्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम निर्माण (चन्द्रबन्दनी खेल मैदान) के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 663 / 12-1 दिनांक 03 / 11 / 2020 के क्रम में अवगत कराना है, कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 76 / 2017 विकासखण्ड हिण्डोलाखाल में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबन्दनी खेल मैदान) का निर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा पाया गया आरक्षित वन भूमि त्यूणा प्रस्तावित वन भूमि के आस-पास राजस्व भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन भूमि का चयन किया गया है, जो कि वृक्ष विहीन है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(इवा आशीष श्रीवास्तव) I.A.S
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।